29/6/18

प्रस्तुत पत्रावली पेश हुई। अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली तहसीलदार के पत्रांक 583 दिनांक 29/6/18 के अनुसार खतौनी उपलब्ध हुई। खतौनी के अनुसार [illegible] [illegible] खाता संख्या 231 ग्रा.नं. 799 रकबा 0-15 है 800 रकबा 0.34 है किता 2 रकबा 0.49 है का [illegible] अधिग्रहण के [illegible] निस्तारण [illegible] किया जाता है।

(1) [illegible] ग्राम [illegible] [illegible] के नाम [illegible] B.R.G.B [illegible] रहेगा।

क्र.नं.	रकबा	किता	लागत
799/1	0.07 है	[illegible]	0.91
800/1	0.17 है	-"-	2.21
कुल किता 2 रकबा 0.24 है			3.12

[illegible] अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
[illegible] ([illegible])

Scanned by CamScanner

हुक्म

(2) प्रतिवादीगण विजयसिंह पु० रामलाल मांगीलाल, रामलाल, रघुनाथ, कालू पु० मांगीलाल जाट निवासी मानपुरा [illegible] के नाम [illegible] ICICI बैंक शाखा S.K. प्लाजा भीलवाड़ा, हि. रामलाल रघुनाथ कालू, रामू का [illegible]

खा.नं.	रकबा	किस्म	लगान
799/2	0.08 है.	[illegible]	1.04
800/2	0.17 है.	—	2.21
कुल किता 2 रकबा	0.25 है.	—	3.25

उपरोक्त वर्णित भूमि प्रतिवादीगण के नाम [illegible]

[illegible] अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
मांडल (भीलवाड़ा)

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार–2018"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 यादव, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
18/2018/वाद पत्र	06.02.2018	25.05.2018

उनवान

लादू पिता गोमा गुर्जर निवासी मुण्डेती तह0 शाहपुरा – वादी

बनाम

1– रामु बेवा मांग्या गुर्जर नि0 मुण्डेती तह0 शाहपुरा
2–4 रामबक्ष, रघुनाथ, कालु पिता मांग्या गुर्जर नि0 मुण्डेती तह0 शाहपुरा
5– मैनेंजर बडोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा ढ़ीकोला
6– तहसीलदार, शाहपुरा – प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा – 53 आर0टी0ए0

उपस्थित :– 1. श्री लादू गुर्जर : वादी स्वयं

निर्णय

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, वाके ग्राम लूंलास प0ह0 लूंलास तहसील शाहपुरा मे वादी एवं खातेदार मांग्या पिता उदा गुर्जर निवासी मुण्डेती की संयुक्त खातेदारी अधिकार की आराजीयात कुल किता 15 रकबा 1.89 है0 होकर वादी का 1/2 हिस्सा व मांग्या का 1/2 हिस्सा स्थित है। मांग्या की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 को पक्षकार बनाया गया है। इसी प्रकार ग्राम रामपुरा प0ह0 लूंलास मे खाता संख्या 231 जमाबन्दी संवत 2071–74 आ0न0 799 रकबा 0.15 है0 व आ0न0 800 रकबा 0.34 है0 कुल किता 02 रकबा 0.49 है0 मे वादी लादू का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 का 1/2 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। वादी उपरोक्तानुसार भमि संयुक्त दर्ज होने से अधिक लागत लगाकर भूमि को और अधिक उपजाउ नही कर पा रहा है। अतः वादी के पक्ष मे प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 4 के विरूद्व बंटवाड़ा की डिक्री इस अमर की जारी की जावे कि वाद पत्र के पेरा नं0 1 व उप पेरा "अ' मे वर्णित आराजीयात मे वादी का 1/2 हक हिस्सा निहित है। जिसका मिट्स एण्ड बाउडस् के आधार पर बंटवाड़ा कराया जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 28.09.2018 को प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 4 की ओर से अभिभाषक श्री भगवान मीणा एवं 5 की ओर से श्री गौरव पालीवाल ने अधिकार पत्र पेश किया। प्रतिवादी नं0 6 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। प्रकरण दिनांक 25.05.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार – 2018 अटल सेवा केन्द्र लूंलास पर वास्ते सुनवाई हेतु रखा गया। वादी स्वयं उपस्थित है प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के सम्मन नोटिस बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही होने से प्रकरण मे वादी स्वयं को सुना गया। जिसमे मौखिक बताया कि मेरा वादग्रस्त आराजीयात मे 1/2 हक हिस्सा निहित है इसी अनुसार बंटवाड़ा कराया जावे। प्रकरण एवं राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिभाषक वादी द्वारा पेरा नं0 1 मे अंकित भूमि ग्राम लूंलास कुल किता 15 रकबा 1.89 है0 मे वादी का 1/2 हक हिस्सा बताया

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

किन्तु राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया है। ग्राम रामपुरा जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 231 कुल किता 2 रकबा 0.49 है0 से वाद पत्र की पुष्टि होती है अतः वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आ0टी0ए0 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम रामपुरा प0ह0 लूंलास तहसील शाहपुरा मे स्थित खाता संख्या 231 आ0न0 799 रकबा 0.15 है0, व आ0न0 800 रकबा 0.34 है0 कुल किता 02 रकबा 0.49 है0 मे वादी लादू का 1/2 हक हिस्सा प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 रामु, रामबक्ष, रघुनाथ कालु का 1/2 हक हिस्सा अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कब्जे को ध्यान मे रखते हुए पक्षकारान की मौजूदगी मे बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा स्कीम मय नक्शा ट्रेस तैयार कर दो प्रति मे पेश करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को 400/– कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है कमीशन राशि मोके पर वादी से प्राप्त करे। प्राथमिक डिक्री जारी हो। प्राथमिक डिक्री की प्रमाणित प्रति तहसीलदार शाहपुरा को भेजी जाकर बंटवाड़ा स्कीम हेतु लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 25.05.2018 को केम्प लूंलास पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(के0आर0 यादव)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

प्राथमिक –

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार–2018"

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री के० आर० मेरठ, RAS

श्री कालू S/o मोडा गूजर निवासी–कुण्डिया तह० शाहपुरा –वादी

बनाम श्री 1. रघु बेटा मोडा गूजर निवासी कुण्डिया
2–4 रामलाल रघुनाथ, कालू [illegible]
5 नैनेकल [illegible] बैंक शाखा [illegible]
6. तहसीलदार शाहपुरा –प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 RTA

मुकदमा नम्बर 18 सन् 18 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई प्राथमिक व 6 मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं। डिक्री दी जाती हैं कि :–

वादी का राजस्व ग्राम [illegible] तहसील शाहपुरा में स्थित खाता संख्या 23 आराजी 799 रकबा 0.15 है० व आराजी 800 रकबा 0.34 है० कुल किता 2 रकबा 0.49 है० में वादी कालू का 1/2 हक [illegible] प्रतिवादी नं. 1 [illegible] रघु, रामलाल, रघुनाथ [illegible] का 1/2 हक [illegible]

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख द सुल्याबी तक अदा करें ।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 25 माह 5 सन् 18

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री के. आर. जोरिया, RAS.

श्री लादू s/o मोहन जाट निवासी हकोलिया शाहपुरा — बनाम श्री हरि रघुनाथ s/o मोहन जाट निवासी हुकोली

–वादी

2-4 रामबक्ष, रघुनाथ, कालू s/o मोहन जाट नि. हुकोली

5 मैनेजर बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय बैंक शाखा टीकोला

6 तहसीलदार शाहपुरा

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 RTA

मुकदमा नम्बर 18 सन् 18 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती हैं कि :–

उपरोक्त वादग्रस्त तहसील शाहपुरा ग्राम रघुपुरा पटवार हल्का खाता संख्या 231 ख.नं. 799 रकबा 0.15 है. 800 रकबा 0.34 है. कुल किता 2 रकबा 0.49 हैक्टर वादी, प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है :–

(1) वादी लादू s/o मोहन जाट निवासी हुकोली को ... B. R.G.B. टीकोला ... –

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसादी सालाना आज तारीख से तारीख द सूलयाबी तक अदा करें ।

आज हमारे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 29 माह 6 सन् 18

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

खसरा	रकबा	सिंचित	लगान
799/1	0.07 है	असिंचित	0.91
800/1	0.17 है	—	2.21
कुल किता 2	रकबा 0.24 है	—	3.12

(2) प्रतिवादीगण [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] निवासीगण [illegible] के नाम [illegible] [illegible] [illegible] I.C.I.C.I बैंक शाखा S.K [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

खसरा नं०	रकबा	सिंचित	लगान
799/2	0.08 है		
800/2	0.17 है	असिंचित	1.04
		—	2.21
कुल किता 2	रकबा 0.25 है	—	3.25

उपरोक्त आराजी पर, प्रतिवादीगण के नाम [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है।

[signature]

[illegible]
सहायक कलेक्टर
[illegible] ([illegible])